Journey of

VSI INTERNATIONAL SCHOOL

SP 6 (A/1), Sitapura Industrial Area, EPIP, Jaipur, Rajasthan

From

Blue Bells School

C-164, Sunder Marg, Tilak Nagar, Jaipur

to

VSI INTERNATIONAL SCHOOL, SP 6 (A/1), Sitapura Industrial Area, EPIP, Jaipur, Raj.

S. No.	Kind of Affiliation	Name & Address of School	Order No.	Authority
1.	**Permanent Recognition upto Upper Primary Level**	Blue Bell School, C – 164, Sunder Marg, Tilak Nagar, Jaipur	शिविरा / प्राथ / सी / 19609/199/90 - 92 date 27.04.1992	Director, Primary & Secondary Education Bikaner, Rajasthan
2.	**Affiliation upto Secondary Level**	Blue Bells School, C – 164, Sunder Marg, Tilak Nagar, Jaipur	जिशिअ / जय / प्र / माध्य. / मान्यता / फा–मान्यता / 98	District Education Officer (Secondary), Jaipur 1st Jaipur.
3.	**Address Transfer from Blue Bells School C – 164, Sunder Marg, Tilak Nagar, Jaipur**	To Blue Bells School Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer Jaipur	शिविरा / माध्य / अ–4 / 21313/ परि 2002 - 03 date 10.08.2002	Director, Secondary education, Bikaner, Rajasthan.
4.	**Affiliation upto Senior Secondary Level**	Blue Bells School, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	शिविरा / माध्यमिक / अ–4 / 21318/ 2003 - 04 date 29.08.2003	Director Secondary Education Rajasthan, Bikaner.
5.	**Change of Name of school Blue Bells School to**	VSI International School, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	शिविरा / मा / मा / अ–3 / भनावमा / मूल / 2014 date 06.06.2014	Deputy Director (Secondary) Bikaner, Rajasthan
6.	**RTE Recognition Certificate**	VSI International School, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	जिशिअ / प्राशि / जय / सा–5 / फा–मान्यता / Sanga / 855 dated 18.03.2015	District education officer elementary education Jaipur. Rajasthan.

Archana Chaturvedi

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School

Beena

Secretary

7.	**Address Change from VSI International School, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur to**	VSI International School SP 6(A/1) Sitapura Industrial Area EPIP, Jaipur	DEO(HO) Sec / JPR / L-5/22-23/600 dated 17.10.2022	District Education officer (Secondary) Jaipur.

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

बिल्यू बैल्स स्कूल, सी-164, सुन्दरमार्ग, तिलकनगर जयपुर को अंग्रेजी माध्यम एवं एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। विभागीय नियमों की पालना न करने पर स्थाई मान्यता समाप्त की जा सकती है।

ह0
(आर0एस0गुप्ता)
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्राथ/सी/19609/199/90-92 दिनांक : 27/4/92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) संयुक्त निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग जयपुर।
(2) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) खण्ड प्रथम जयपुर।
(3) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर।
(4) सचिव, बिल्यू बैल्स स्कूल, सी-164, सुन्दर मार्ग, तिलकनगर, जयपुर।
(5) रक्षित पंजिका।

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Archana Sharma
Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-प्रथम जयपुर।

क्रमांक:- जिशिअ/जय/प्र/माध्य0/मान्यता/फा-मान्यता/98/ दिनांक-

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

राजस्थान, अजमेर

विषय:- गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विधालयों को माध्यमिक स्तर पर अस्थायी मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम मेंके

महोदय,

उपरोक्त विषान्तर्गत निम्नांकित गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विधालय को विशिष्ठ शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राज0-सरकार जयपुर के पत्रांक-प01(9) शिक्षा-5/93 दिनांक-21-2-98 की अनुपालना में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान एंव शर्ते आदि) नियम 1993 के नियम 5 के तहत परिशिष्ठ-3 में मान्यता या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने सम्बन्धि प्रदत्त अधिकारो को निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रत्यावर्तित करने पर व मान्यता नियम 5(1) के अन्तर्गत परिशिष्ठ-2 की शर्तों के अवधान्तर्गत दलीय पर्यवेक्षक अधिकारियों की अनुशंषा के आधार पर सत्र 98-99 से माध्यमिक स्तर पर अस्थायी मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है।

(1) स्वीकृति क्रमोन्नति के वर्ष में कक्षा09 एंव बाद के वर्ष में कक्षा-10 प्रारंभ की जावे।
(2) नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछनीय है।
(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से मान्यता हेतु प्रपत्र"क" शीघ्र ही प्राप्त कर अग्रेषण हेतु इस कार्यालय को दो प्रतियों में भिजवाये।
(4) इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नही होगा, तथा संस्था को अपने स्तर पर बोर्ड मान्यता शर्तों की पूर्ति करनी होगी।
(5) संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 एंव राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तों आदि) नियम 93 में वर्णित सभी प्रावधानों एंव मानदण्डों की पालना करनी होगी।
(6) विभागीय नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी।
(7) विधालय के पते में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नही किया जावे।
(8) नियमानुसार कर्मचारियों को पी0एफ0 का लाभ दिया जावे।

क्र0सं0	विधालय का नाम	माध्यम
1-	[illegible]	[illegible]

For- VSI International School

Secretary

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

जिला शिक्षा अधिकारी

क्रमांक:- जिशिअ/जय/प्र/[illegible]/मान्यता/[illegible] 6567-69 [illegible] 7/10/[illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ [illegible] कार्यवाही [illegible]

§1§ [illegible]

§2§ निदेशक, [illegible]

§3§ [illegible]

§4§ [illegible]

§5§ रक्षित पत्रावली।

/मधु/

[illegible] 7/10/98

[illegible]

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School

Secretary

00 कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान – बीकानेर । 0

क्रमांक शिविरा/माध्य/अ-4/21313/4/वर्ष/2002-2003 दिनांक :- 10.8.02

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान – अजमेर ।

विषय :- बापू बेल स्कूल का भवन परिवर्तन
की स्वीकृति के क्रम में ।

=====

उपरोक्त विषय में लेख है कि गैर सरकारी संस्था बापू बेल स्कूल डी-164 सुन्दर मार्ग तिलक नगर जयपुर को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर की अभिशंषा के आधार पर भवन परिवर्तन कर नये भवन में सेक्टर नं० 5 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाऐं संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(पी.के.गोयल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान – बीकानेर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
2 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम
3 उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर ।
4 बापू बेल स्कूल डी-164 सुन्दर मार्ग तिलक नगर जयपुर ।
5 प्रभाग प्रभारी अ-2-3 प्रभाग माध्यमिक अनुभाग ।

उप निदेशक(माध्यमिक)

आचार्य

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान – बीकानेर ।

–:: आ दे श ::–

राज्य सरकार के पत्रांक प. 9(11) शिक्षा–5 जयपुर दि. 26.08.2003 द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति की अंतिम दि. 31.7.03 में शिथिलन देने से पंजिकाओं का पुनर्निरीक्षण करने पर तथा निर्धारित अवधि में आवश्यक पूर्तियां कर लेने के कारण संलग्न सूची के अनुसार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सत्र–2003–04 से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम–1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी ।
2. स्वीकृति क्रमोन्नति के वर्ष में कक्षा–11 एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा–12 प्रारंभ की जावेगी ।
3. नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछनीय है ।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु प्रपत्र "क" शीघ्र ही प्राप्त कर अग्रेषण हेतु इस कार्यालय को चार प्रतियों में भिजवावें ।
5. विद्यालय संचालन हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा तथा संस्था को अपने स्तर पर बोर्ड मान्यता शर्तों की पूर्ति करनी होगी ।
6. विभागीय नियमों / निर्देशों की पालना करनी होगी ।
7. विद्यालय का पता/नाम/भवन बिना विभागीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
8. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विनियमों व निर्देशों की पालना करनी होगी ।
9. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम–1993 के नियम–21 के तहत संस्था के कार्यकलापों पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक/राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी पूर्व नोटिस के बिना, किसी भी संस्था का या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा । संस्था ऐसे निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए अपना अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।
10. विद्यार्थियों को 31 अगस्त, 2003 तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

संलग्न:– सूची

(एच. के. डामोर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर।

क्रमांक:–शिविरा–मा/माध्यमिक/अ–4/21318/2003–04 दिनांक: 29.8.03

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
5. प्रभाग (अ–2,3) प्रभाग माध्यमिक अनुभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(डा. सतीश कुमार)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर।

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

उच्च माध्यमिक विधालय
(सत्र 2003 - 2004)

1	2	3	4
14)	सरस्वती बाल विधालय (माध्यमिक विधालय) रेल्वे चिकित्सालय मार्ग, कोटा	1) कला- 1) हिन्दी साहित्य 2) संस्कृत 3) राजनीतिशास्त्र 4) गृहविज्ञान 5) अर्थशास्त्र 6) इतिहास	कोटा
15)	तैयाबिया माध्यमिक विधालय (अंग्रेजी माध्यम) परतापुर, बांसवाड़ा ।	1) वाणिज्य- 1) लेखाशास्त्र 2) व्यावसायिक-संगठन 3) व्यापार सूचना-तंत्र एवं प्रयोग	बांसवाड़ा
16)	फखरीया माध्यमिकविधालय (अंग्रेजी माध्यम) बांसवाड़ा ।	1) कला- 1) अंग्रेजी साहित्य 2) उर्दू साहित्य 3) राजनीति विज्ञान	बांसवाड़ा
17)	सेन्ट जॉनचिल्ड्रन अकादमी, इन्द्राकॉलोनी, बीकानेर ।	1) कला- 1) राजनीति शास्त्र 2) इतिहास 3) भूगोल 4) गृहविज्ञान	बीकानेर
18)	तिलक पब्लिक मा. विधालय अकलेरा (झालावाड़)	1) कला- 1) संस्कृत 2) हिन्दी (साहित्य) 3) राजनीति शास्त्र 4) चित्रकला 5) इतिहास	झालावाड़
19)	विवेकानन्द मा. विधालय डीडवाना (नागौर)	1) कला- 1) हिन्दी 2) इतिहास 3) भूगोल 4) संस्कृत 5) चित्रकला 6) राजनीतिविज्ञान 7) कम्प्यूटर शिक्षा 8) गृहविज्ञान 9) अंग्रेजी	नागौर
20)	सरस्वती पब्लिक स्कूलमा. विधालय पदमपुर (श्रीगंगानगर)	1) कला- 1) इतिहास 2) समाजशास्त्र 3) पंजाबी साहित्य	श्रीगंगानगर
21)	अरिहन्त चिल्ड्रन मा. विधालय, आर.के.पुरम्, कोटा ।	1) विज्ञान- 1) भौतिक विज्ञान 2) जीवविज्ञान 3) रसायनविज्ञान 4) गणित	कोटा
22)	वल्ड्र वैल्स स्कूल, सेक्टर-5, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर ।	1) वाणिज्य- 1) बहीखाता 2) व्यावसायिक-संगठन 3) विनिमयमुद्रा एंव अधिकोषण	जयपुर

29.8.03

For- VSI International School
Secretary

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा–5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के वर्तमान नाम के स्थान पर उनके सम्मुख अंकित संशोधित नवीन नाम की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का संशोधित नवीन नाम
1	जयपुर	कुमावत बाल विद्या मंदिर उमावि0, किशनगढ रेनवाल, सांभरलेक, जयपुर	किरण बाल विद्या मंदिर उमावि0, किशनगढ रेनवाल, सांभरलेक, जयपुर
2	जयपुर	कैरियर पोइन्ट मॉन्टेसरी सी.सै. स्कूल, किशनगढ रेनवाल, जयपुर	ग्लोबल कैरियर सी.सै. स्कूल, किशनगढ रेनवाल, जयपुर
3	जयपुर	श्री कृष्ण पब्लिक सै. स्कूल, कंवरपुरा, कोटपुतली	शिव सम्पत पब्लिक सै. स्कूल, कंवरपुरा, कोटपुतली
4	जयपुर	किरण प. मेमो. सी.सै. स्कूल, रेनवाल रोड, चौमूं	बंसल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन सी.सै. स्कूल, रेनवाल रोड, चौमूं
5	जयपुर	यदुकुल शारदा प. सी.सै. स्कूल, बिलान्दपुर, शाहपुरा, जयपुर	एशियन वाई.एस.पी. सी.सै. स्कूल, बिलान्दपुर, शाहपुरा, जयपुर
6	जयपुर	भारत प. सै. स्कूल, 8–देवी नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	कैम्ब्रीज प. सै. स्कूल, 8–देवी नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
7	जयपुर	स्प्रिंगडेल्स प. स्कूल, प्लॉट–एस 4, सेक्टर–1, विद्याधर नगर	यूनिकॉर्न वर्ल्ड स्कूल, प्लॉट–एस 4, सेक्टर–1, विद्याधर नगर
8	जयपुर	मुरलीमनोहर प. स्कूल, मुकुंदपुरा, नृसिंहपुरा, अजमेर रोड	स्टप नेक्स्ट एकेडमी, मुकुंदपुरा, नृसिंहपुरा, अजमेर रोड
9	जयपुर	विनोद विद्या मंदिर सी.सै. स्कूल, गुढा कुमावतान, बालोलाई, दुदु	स्टप नेक्स्ट एकेडमी, गुढा कुमावतान, बालोलाई, दुदु
10	जयपुर	ब्लू बेल्स सी.सै. स्कूल, से.–5, प्रतापनगर	वी.एस.आई. इण्टरनेशनल स्कूल, से.–5, प्रतापनगर
11	जयपुर	शिवा प. स स्कूल, 76–कल्याणनगर–III, एयर पोर्ट फलाईओवर के पास, टोंक रोड	एस.एस.जी.डी. ग्लोबल स्कूल, 76–कल्याणनगर–III, एयर पोर्ट फलाईओवर के पास, टोंक रोड
12	जयपुर	शुभम प0 स्कूल, 45–46, प्रेमनगर, मालवीयनगर	स्टेपवाईज इण्टरनेशनल स्कूल, 45–46, प्रेमनगर मालवीयनगर
13	जयपुर	एस.एफ सी.सै.स्कूल, 124 विवेक विहार, जगतपुरा	मदर मेरी पब्लिक सी.सै.स्कूल, 124 विवेक विहार, जगतपुरा
14	जयपुर	बी–पीप प.सी.सै. स्कूल, खातीपुरा रोड, झोटवाडा	अर्यन्स एकेडमी सी.सै. स्कूल, खातीपुरा रोड, झोटवाडा
15	जयपुर	वर्षा प. सै. स्कूल, जैन छात्रावास के पीछे, बजरी तलाई, सांगानेर	सूर्योदय सै. स्कूल, जैन छात्रावास के पीछे, बजरी तलाई, सांगानेर
16	जयपुर	बालाश्रम प. स्कूल, ए–308, रामनगरिया रोड, जगतपुरा	आर.डी. प. सै.स्कूल, ए–308, रामनगरिया रोड, जगतपुरा
17	अलवर	टाईम्स प. उमावि	रॉयल पाई उमावि.

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का संशोधित नवीन नाम
18	अलवर	रामानन्द विद्या मंदिर उमावि0, 174—बी, स्कीम नं08	कैरियर मेकर सी.सै.स्कूल, 174—बी, स्कीम नं08
19	अलवर	महाराजा साहिब दास इन्टरनेशनल, शाहजहांपुर	महाराजा साहिब दास उमावि0, शाहजहांपुर
20	अलवर	अजय मावि, दरबारपुर	माउण्ट व्यू मॉडल मावि, दरबारपुर
21	अलवर	राज किटोर उमावि, बेहरोज	एस.पी.बी. सी.सै.स्कूल, बेहरोज
22	अलवर	भारत मॉडल माध्यमिक विद्यालय, भिवाड़ी	दी आर्मी सै.स्कूल, भिवाड़ी
23	अलवर	भारतीय आदर्श विद्यापीठ उमावि., बड़ौदामेव	आदर्श विद्यापीठ उमावि., बड़ौदामेव
24	अलवर	भारतीय आदर्श विद्यापीठ उमावि., गोविन्दगढ	आदर्श विद्यापीठ उमावि., गोविन्दगढ
25	अलवर	जसविन्द्रा प0 स्कूल, पथरेड़ी	इकृरा पब्लिक माध्यमिक स्कूल, पथरेड़ी
26	अलवर	भारतीय आदर्श विद्यापीठ उमावि., रामगढ़	आदर्श विद्यापीठ उमावि., रामगढ़

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय—समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/मा/अ—3/भनावमा/मूल/2014 दिनांक : 6/6/14

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, जयपुर मण्डल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक—प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

PRINCIPAL
BLUE BELLS SR. SEC. SCHOOL
School Code 120223

For- VSI International School

Secretary

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिये)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/सांगा./ 855 दिनांकः– 18/03/15

संस्था सचिव

VSI INTERNATIONAL SCHOOL,

Sector 5, Pratap Nagar,

Sanganer , Jaipur

विषयः नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक .... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पाश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर (विद्यालय का नाम और पता VSI International School, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur को दिनांक 1.04.2012 से कक्षा **01** से **08** तक के लिए स्थायी मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा – 8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा –1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International
Secretary

...ला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयू के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्ररम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा।

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये।

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये:

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं: और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय सुमुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैः– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा पत्र–पत्रक 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र

For- VSI International School
Secretary

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडर कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री / खेल–कूद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणिक किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्या (JPR/SAN/C-333......) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School

Secretary

विद्यालय - VSI INTERNATIONAL SCHOOL (P21566) आवेदन क्रमांक : 42166 7

मान्यता कोड : RJJAI32584

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: DEO(HQ)sec/JPR/L-5/22-23/600 दिनांक 17.10.2022

सचिव

प्रबंध समिति

VSI INTERNATIONAL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42166 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VSI INTERNATIONAL SCHOOL पता SP 6 (A/1), PHASE-IV, SITAPURA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY(Greater Jaipur) ब्लॉक SANGANER CITY(U) को शैक्षणिक सत्र से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	JAIPUR	ब्लॉक	SANGANER CITY
ग्राम पंचायत /यु एल बी	SANGANER CITY(Jaipur Heritage)	ग्राम /वार्ड	Jaipur (M Corp.) (Part) - Ward No. 99
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	JAIPUR	ब्लॉक	SANGANER CITY(U)
ग्राम पंचायत /यु एल बी	SANGANER CITY(Greater Jaipur)	ग्राम /वार्ड	Jaipur (M Corp.) (Part) - Ward No.99
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	SP 6 (A/1), PHASE-IV, SITAPURA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR		

17/10/22

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International School
Secretary

विद्यालय - VSI INTERNATIONAL SCHOOL (P21566) आवेदन क्रमांक : 42166

मान्यता कोड : RJJAI32584

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निधारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

शर्तः-संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि लगाये गये आक्षेपों/कमियों की शीघ्र पूर्ति करें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक
17/10/22

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

Principal
VSI International School
SP-6 (A/1) Phase-IV,
Sitapura Industrial Area, Jaipur

For- VSI International
Secretary